प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2859/2007

याचिकाकर्ता - आर.एन. देवांगन, पिता स्वर्गीय श्री वाई.के. देवांगन, आयु लगभग 50 वर्ष, निवासी ब्लॉक कॉलोनी, मरवाही, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

बनाम

उत्तरवादीगण - 1.छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)

2. कलेक्टर बिलासपुर सह जिला मिशन संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, बिलासपुर (छ.ग.)

3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर (छ.ग.)

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका)

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

....

उपस्थितः

याचिकाकर्ता की ओर से श्री पी. दिवाकर, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री के.एस. पवार, अधिवक्ता।

उत्तरवादीगण की ओर से श्री यशवंत सिंह ठाकुर, शासकीय अधिवक्ता।

....

मौखिक आदेश

(दिनांक 9 मई, 2007 को पारित)

इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने दिनांक 28.04.2007 के आक्षेपित निलंबन आदेश (अनुलग्नक पी./2) को चुनौती दी है। आक्षेपित निलंबन आदेश पारित किए जाने के समय याचिकाकर्ता ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा, पेंड्रा, जिला बिलासपुर में उप संभागीय अधिकारी के पद पर कार्यरत था।

2. निलंबन आदेश के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता को प्राथमिक शाला, गुल्लीदांड, विकासखंड मरवाही में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निर्माण कार्य की लागत का कथित रूप से गलत मूल्यांकन करने के कारण निलंबित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप उसने शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाई है तथा अपने कर्तव्यों के प्रति असावधानी और शासकीय कार्यों में अनियमितताएं की हैं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

> 9. (1) नियुक्ति प्राधिकारी या ऐसा कोई प्राधिकारी जिसके कि अधीनस्थ वह हो या अनुशासिक प्राधिकारी या उस सम्बन्ध में राज्यपाल द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा सशक्त किया गया कोई अन्य प्राधिकारी किसी शासकीय सेवक को.-
>
> (क) जहां उसके विरूद्ध अनुशासिक कार्यवाही की जाना अपेक्षित हो या अनुशासिक कार्यवाही लम्बित हो, या
>
> (ख) जहां उसके विरूद्ध किसी भी दाण्डिक अपराध के सम्बन्ध में कोई मामला अन्वेषण, जांच या परीक्षण के अधीन हो,
>
> निलम्बित कर सकेगा :
>
> परन्तु शासकीय सेवक को सदैव निलम्बित किया जाएगा जबकि भ्रष्टाचार या अन्य नैतिक पतन में अन्तर्वलित दाण्डिक अपराध में सरकार द्वारा अभियोजन स्वीकृति के पश्चात् उसके विरूद्ध चालान प्रस्तुत किया गया हो,
>
> परन्तु यह और भी कि जहां निलम्बन का आदेश किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो जो नियुक्ति प्राधिकारी से निम्नस्तर श्रेणी का हो तो ऐसा प्राधिकारी तत्क्षण उन परिस्थितियों की जिनमें कि आदेश दिया गया था, रिपोर्ट नियुक्ति प्राधिकारी को करेगा.

“9 (2) कोई शासकीय सेवक नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश द्वारा--

(क) उसके निरूद्ध किये जाने के दिनांक से यदि उसे, या तो किसी दाण्डिक आरोप पर या अन्यथा, अडतालीस घण्टे से अधिक की कालावधि के लिये अभिरक्षा में निरूद्ध किया गया हो;

(ख) उसे दोषसिद्ध ठहराये जाने के दिनांक से, यदि वह, किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराये जाने की दशा में, अडतालीस घण्टे से अधिक की अवधि के लिये दण्डादिष्ट किया गया हो, और ऐसी दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप तत्काल पदच्युत न कर दिया गया हो या सेवा से हटा न दिया गया हो या अनिवार्यतः सेवानिवृत्त न कर दिया गया हो, निलम्बित कर दिया गया समझा जायेगा.

व्याख्या. - इस उपनियम के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट की गयी अडतालीस घण्टे की कालावधि की संगणना दोषसिद्धि के पश्चात्, कारावास के प्रारम्भ से की जायेगी और इस प्रयोजन के लिये कारावास की विच्छिन्न कालावधियां, यदि कोई हों, संगणित की जायेगी.

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

5 (2-क) जहां किसी शासकीय सेवक को उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन निलम्बित किया जाय, वहां निलम्बन आदेश में, ऐसा आदेश करने के कारण अन्तर्विष्ट होंगे और जहां ऐसे शासकीय सेवक के विरूद्ध नियम 14 के अधीन जांच करना प्रस्तावित हो वहां नियम 14 के उपनियम (4) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार अनुशासिक प्राधिकारी द्वारा ऐसे शासकीय सेवक को आरोप पदों की, अवचार या कदाचार के लांछनों के विवरण की और उन दस्तावेजों तथा साक्षियों की, जिनके कि द्वारा प्रत्येक आरोप पद का प्रमाणित किया जाना प्रस्तावित है, सूची की एक प्रतिलिपि निलम्बन आदेश के दिनांक से 45 दिन की कालावधि के भीतर जारी की जायेगी या जारी करवाई जायेगीः

परन्तु जहां अनुशासिक प्राधिकारी राज्य सरकार #या उच्च न्यायालय हो, वहां आरोपों की तथा उन अन्य दस्तावेजों की, जो कि ऊपर वर्णित की गयी हैं,

प्रतिलिपि ऐसे शासकीय सेवक को निलम्बन आदेश के दिनांक से 90 दिन की कालावधि के भीतर जारी की जायेगी या जारी करवाई जायेगी.

(2-ख) जहां अनुशासिक प्राधिकारी आरोपों की तथा उन अन्य दस्तावेजों की, जो कि उपनियम (2-क) में निर्दिष्ट की गयी हैं, प्रतिलिपि 45 दिन की कालावधि के भीतर शासकीय सेवक को जारी न करें, वहां अनुशासिक प्राधिकारी उक्त कालावधि के समाप्त होने के पूर्व राज्य शासन से निलम्बन की उक्त कालावधि को बढाने के लिये लिखित में आदेश अभिप्राप्त करेगाः

परन्तु निलम्बन की कालावधि में, निलम्बन आदेश के दिनांक से 90 दिन की कालावधि से परे किसी भी दशा में वृद्धि नहीं की जायेगी.

(3) XXX XXX XXX

(4) XXX XXX XXX

(5) XXX XXX XXX

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

4. नियम 9 के प्रावधानों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अनुशासनिक प्राधिकारी के अधीनस्थ कोई भी प्राधिकारी या कोई अन्य प्राधिकारी, जो सेवा की श्रृंखला में नहीं है, तथा जिसे राज्यपाल द्वारा सामान्य या विशेष आदेश के माध्यम से अधिकृत किया गया है, किसी कर्मचारी को निलंबित कर सकता है। "अन्य प्राधिकारी" से आशय ऐसे प्राधिकारी से है जो याचिकाकर्ता की सेवा श्रृंखला या प्रतिनियुक्ति में न होकर, कर्मचारी के कार्य से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने मात्र साधारण कथन करने के अतिरिक्त अपने तर्क के समर्थन में कोई सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह स्थापित हो सके कि निलंबन आदेश पारित करने वाला प्राधिकारी कर्मचारी के कार्य से संबंधित नहीं था या उसे राज्यपाल द्वारा सामान्य या विशेष आदेश के माध्यम से अधिकृत नहीं किया गया था।

5. नियम 9(1) के द्वितीय उपबंध में यह भी प्रावधान है कि यदि निलंबन का आदेश नियुक्ति प्राधिकारी से निम्न स्तर के किसी प्राधिकारी द्वारा पारित किया जाता है, तो

ऐसा प्राधिकारी तत्काल उन परिस्थितियों की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देगा, जिनके अंतर्गत यह आदेश पारित किया गया है।

6. मैसूर राज्य बनाम एम.एच. बेलारी, जो AIR 1965 SC 868 में प्रतिवेदित है, तथा विद्याधर पांडे बनाम विद्युत गृह शिक्षा समिति एवं अन्य, जो एआईआर 1989 एससी 341 में प्रतिवेदित है, इन मामलों में सेवा समाप्ति का प्रश्न विचाराधीन था, जिसमें नागरिक परिणामों के साथ दंड का तत्व सम्मिलित था। पी.एल. शाह बनाम भारत संघ, जो एआईआर 1989 एससी 985 में प्रतिवेदित है, में उच्चतम न्यायालय ने निलंबन की प्रकृति पर विचार करते हुए निम्न प्रकार कहा है—

> "निलंबन का आदेश किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर दंड देने का आदेश नहीं होता। यह उसके विरुद्ध दोष सिद्ध होने से पूर्व पारित किया जाने वाला आदेश है, जिससे उसके विरुद्ध प्रारंभ की गई कार्यवाही का सुचारु रूप से निराकरण सुनिश्चित किया जा सके। ऐसी कार्यवाही को जनहित में तथा संबंधित शासकीय कर्मचारी के हित में यथाशीघ्र पूर्ण किया जाना चाहिए, xxx xxx xxx"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि निलंबन एक अस्थायी व्यवस्था है और इसमें ऐसे दंड का तत्व शामिल नहीं होता, जिसके नागरिक परिणाम हों। निलंबन का अर्थ है— कर्तव्यों के निर्वहन से अस्थायी रूप से वंचित किया जाना, जो न तो पदावनति है और न ही उसकी स्थिति में कोई कमी करता है। निलंबन की स्थिति में कर्मचारी शासकीय सेवक बना रहता है; उसे केवल इस कारण कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाती कि उसके विरुद्ध विभागीय जांच लंबित है, ताकि विभागीय जांच की कार्यवाही पर उसका अनुचित प्रभाव न पड़े तथा अभिलेखों में छेड़छाड़ की संभावना से बचा जा सके। इस अवस्था में याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोपों पर विचार करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि इससे पक्षकारों के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जबकि उत्तरवादी विभागीय जांच प्रारंभ करने की संभावना रखते हैं।

7. आक्षेपित आदेश से स्पष्ट होता है कि निलंबन का आदेश दिनांक 28.04.2007 (अनुलग्नक पी./2) के माध्यम से सभी अधिकारियों, जिनमें नियुक्ति प्राधिकारी भी शामिल है, को सूचित कर दिया गया था।

8. वर्तमान प्रकरण में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बिलासपुर द्वारा आदेश पारित किया गया है, जिसे कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक द्वारा अनुमोदित किया गया है। निलंबन आदेश में जांच की प्रस्तावित स्थिति के उल्लेख के संबंध में, याचिकाकर्ता द्वारा कथित रूप से की गई अनियमितताओं का वर्णन आक्षेपित निलंबन आदेश में किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि जांच प्रस्तावित थी। नियम 9(2-क) एवं 9(2-ख) ऐसी स्थिति का प्रावधान करते हैं, जब 45 या 90 दिनों के भीतर, जैसा कि लागू हो, जांच प्रारंभ नहीं की जाती।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

9. विद्वान अधिवक्ता द्वारा रिट याचिका क्रमांक 2918/2006 (वी.के. केशरवानी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य) में दिनांक 22.06.2006 को पारित आदेश पर निर्भरता जताई गई है। इस न्यायालय ने अनुतोष प्रदान करते हुए यह उल्लेख किया था कि निलंबन आदेश पारित करते समय यह स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि जांच प्रस्तावित है। याचिकाकर्ता ने रिट याचिका क्रमांक 2918/2006 में पारित अंतिम आदेश, यदि कोई हो, की प्रति प्रस्तुत नहीं की है।

10. परिणामस्वरूप एवं उपर्युक्त कारणों से यह याचिका खारिज की जाती है।

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur